न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चौथ का बरवाड़ा

मु0नं0: 13 / 2014 तारीख रजू:–18.03.2014

जीसीएमएस नंबर:–2014 / 00073

पीठासीन अधिकारी :–जोगेन्द्र सिंह (आर.ए.एस.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2026.03.06 11:34:15 IST
Reason: SelfAttested

1. मोजीराम पुत्र बजरंग लाल दत्तक पुत्र प्रेम देवी बेवा सुवालाल रेगर, निवासी चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।

–वादी

बनाम

1. प्रेम देवी बेवा सुवा लाल रेगर, निवासी चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।
2. बीना पुत्री सुवा लाल पत्नि सन्तोष कुमार रेगर, निवासी रामपुरा, तहसील अलीगढ़, जिला टोंक।
3. मन्जू पुत्री सुवा लाल पत्नि शंकर लाल रेगर, निवासी बम्बोर, जिला टोंक।
4. किरण पुत्री सुवा लाल पत्नि बब्लू रेगर, निवासी प्लॉट नंबर 19, महामाया नगर, पुराना बस स्टेण्ड के पास, निवारू, जिला जयपुर।
5. सीमा पुत्र सुवा लाल पत्नि राजेश रेगर, निवासी प्लॉट नंबर 19, महामाया नगर, पुराना बस स्टेण्ड के पास, निवारू, जिला जयपुर।
6. सुनीता पुत्री सुवा लाल रेगर, निवासी, चौथ का बरवाड़ा, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।
7. रिंकी पुत्री सुवा लाल रेगर, नाबालिग जरिये संरक्षक, माता प्रेम देवी बेवा सुवा लाल रेगर, निवासी चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।
8. हेमलता पुत्री सुवा लाल रेगर, नाबालिग जरिये संरक्षक, माता प्रेम देवी बेवा सुवा लाल रेगर, निवासी चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।
9. नरसी लाल पुत्र बजरंगा रेगर, निवासी चौथ का बरवाड़ा, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।
10. नन्दकिशोर पुत्र बजरंगा रेगर, निवासी चौथ का बरवाड़ा, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।
11. प्रेमराज पुत्र बजरंगा रेगर, निवासी चौथ का बरवाड़ा, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।
12. सुगना पुत्री बजरंगा पत्नि कमलेश रेगर, निवासी चौथ का बरवाड़ा, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।
13. किशनलाल पुत्र लाल्या रेगर, निवासी चौथ का बरवाड़ा, तहसील चौथ का बरवाड़ा।
14. ऊंकार पुत्र लाल्या रेगर, निवासी चौथ का बरवाड़ा, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।
15. तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा।

–प्रतिवादीगण

उपस्थित:–

वकील वादी:– श्री अब्दुल वहाब, एडवोकेट

वकील प्रतिवादी संख्या 9 व 11 लगायत 14:– श्री दिनेश पारीक, ऐडवोकेट

वकील प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 8 व 10:– एकपक्षीय कार्यवाही

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

दावा बाबत् उद्घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 188 आर0टी0 एक्ट

Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2026.03.06 11:34:15 IST
Reason: SelfAttested
Signature Not Verified

निर्णय दिनांक 04.02.2026

–: निर्णय :–

1. प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि–

❖ वादी ग्राम चौथ का बरवाड़ा, तहसील चौथ का बरवाड़ा के स्थाई निवासी हैं।

❖ आराजी खसरा नंबर हाल 96 रकबा 1.18 है0, 119 रकबा 0.20 है0, 120 रकबा 0.20 है0, 121 रकबा 0.20 है0, 122 रकबा 0.25 है0, 123 रकबा 0.01 है0, 124 रकबा 0.09 है0, 125 रकबा 0.11 है0, 812 रकबा 0.34 है0, 813 रकबा 0.22 है0, 815 रकबा 0.28 है0, 818 रकबा 0.11 है0, 819 रकबा 0.01 है0, 830 रकबा 0.11 है0, 831 रकबा 0.10 है0 कुल किता 15 कुल रकबा 3.41 है0 ग्राम चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर स्थित है, जो बजरंगा, किशनलाल, ऊंकार पि0 लाल्या रेगर हिस्सा 3/4 व सुवा लाल पुत्र लाल्या हिस्सा 1/4 रिकॉर्ड में दर्ज है। बजरंगा की मृत्यु हो चुकी है एवं उसके वारिसान प्रतिवादी 9 लगायत 13 के नाम नामान्तरकरण खुल चुका है।

❖ सुवा लाल पुत्र लाल्या के प्रतिवादी संख्या 1 पत्नि व प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 8 पुत्रियां हैं तथा कोई पुत्र नहीं है। सुवा लाल की मृत्यु दिनांक 11.02.2004 को हो गई है। लिहाजा सुवा लाल की मृत्यु उपरान्त प्रतिवादी संख्या 1 ने प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 8 की इच्छा व सहमति से समस्त ग्रामवासियों के समक्ष दिनांक 22.02.2004 को समाज की रीति अनुसार गोद पुत्र बना लिया। एवं प्रतिवादी संख्या 1 ने वादी को अपनी गोद में बिठा लिया कर पुत्र होना घोषित केया व समाज की रीति अनुसार नारियल–पतासे बांटे। वादी के माता–पिता ने भी वादी को गोद देना स्वीकार किया, जिसकी लिखा–पढ़ी 20/–रूपये के स्टाम्प पर की गई, जिस पर समस्त गांववासियों व सकल पंच रेगरान के समक्ष प्रतिवादी संख्या 1 ने अपनी अंगूठा निशानी की। तत्पश्चात् समस्त ग्रामवासियों व सकल पंच रेगरान ने अपने हस्ताक्षर किये व अंगूठा निशानी की। तभी वे वादी प्रतिवादी संख्या 1 के यहां पुत्रवत रहता चला आ रहा है। वादी, प्रतिवादी संख्या 1 के जेठ बजरंग लाल पुत्र लालू रेगर का दूसरे नंबर का लड़का है।

❖ भविष्य में कोई समस्या न हो इसलिये प्रतिवादी संख्या 1 ने एक गोद पत्र भी दिनांक 31.08.2004 को गवाह गजानन्द व देवीनारायण के समक्ष डीडराईटर से

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स0 मा0)

लिखवाकर अपनी अंगूठा निशानी की व मेरे आईन्दा पिता ने भी हस्ताक्षर किये व माता ने अंगूठा निशानी की, जिसे दिनांक 23.03.2005 हो उप पंजीयक चौथ का बरवाड़ा के यहां दर्ज रजिस्टर किया गया।

- गोद पत्र दर्ज रजिस्टर होने की दिनांक 23.03.2005 तक प्रतिवादी संख्या 1 ने अपनी किसी भी लड़की की शादी नहीं की थी। मुझ वादी ने स्व0 सुवा लाल की मृत्यु उपरान्त उनका समस्त चाल चलावा व बारह ब्राम्हण किया व सारे पंचों के समक्ष सुवा लाल की पगड़ी मुझ वादी के बंधी। वादी ने ही प्रतिवादी संख्या 2 लगायम 5 की शादियां की व उनके अनेक कार्यक्रमों में बतौर भाई काफी पैसा खर्च किया है व प्रतिवादी नंबर 1 की समस्त सार संभाल व दवा दारू व अन्य तमाम खर्चे वादी करता चला आ रहा है एवं पूरी सेवा कर रहा है।

- वादी दोव के मद संख्या 02 में दर्ज आराजी के अपने हिस्से को सुवा लाल की मृत्यु उपरान्त से ही काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है।

- अभी कुछ समय पूर्व प्रतिवादी संख्या 1 लगायम 8 की नियत में फर्क आ गया एवं उन्होने सुवा लाल की मृत्यु के उपरान्त खुले विरासत के नामान्तरकरण संख्या 827 दिनांक 06.12.12 को सरपंच ग्राम पंचायत चौथ का बरवाड़ा से मिलकर गलत सजरा बताकर वादी के अधिकारों को खत्म करने की गरज से सिर्फ अपने नाम खुलवा लिया व वादी के नाम को छोड़ दिया, जो एक सोची समझी चाल के तहत किया गया। यह नामान्तरकरण बमुकाबले वादी निरस्त होने योग्य है।

- दिनांक 05.02.2014 की बात है कि प्रतिवादी संख्या 1 के साथ कुछ लोग विवादित खेतों पर आये व खरीदने की बात कहने लगे। वादी उक्त वक्त विवादित खेतों पर था। वादी के पूछने पर उन्होने बताया कि प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 8 विवादित खेतों में अपने हिस्से 1/4 को बेच रहा है, तो वादी ने तत्काल राजस्व रिकॉर्ड तलाश किया, जो देखने पर सर्वप्रथम 05.02.2014 को वादी को प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 8 की फर्जीयत का इल्म हुआ।

- प्रतिवादी संख्या 9 लगायत 15 को खातेदार होने के कारण पक्षकार बनाया गया है। तहसीलदार को लेण्डहोल्डर होने के कारण पक्षकार बनाया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2026.03.06 11:34:15 IST
Reason: SelfAttested

- प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 8 ने उनके नाम राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज होने का गलत फायदा उठाकर विवादित आराजी का अपना सम्पूर्ण हिस्सा 1/4 बेचने पर आमादा है व वादी को नुकसान पहुंचाने पर आमादा है, जबकि गोद पुत्र

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

होने की वजह से वादी कभी दावे में दर्ज आराजीयात में पूर्ण हक व अधिकार है। वादी भी प्रतिादी संख्या 1 लगायत 8 के साथ विवादित आराजी के राजस्व रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराने का अधिकारी है।

- ❖ प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 8 वादी के अधिकारों को खत्म करने पर आमादा है एवं वादी के कब्जे काश्त में मजाहमत पैदा कर रही है। लिहाजा वादी को अपने अधिकार तय करवाने के लिये यह दावा पेश करना आवश्यक हुआ है।

- ❖ प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 8 का विवादित भूमि पर कोई कब्जा नहीं है। प्रतिवादी संख्या 1 बुजुर्ग महिला है, जो कार्य करने में असमर्थ है एवं प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 6 शादीशुदा है, जो ससुराल में रह रही है।

- ❖ प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 8 गलत रूप से वादी के विवादित आराजी के कब्जे काश्त में माने मजाहमत करवाने लगी है व बेचने पर आमादा है, जिहाजा उन्हे स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करवाना भी आवश्यक हो गया है।

- ❖ बिनाय दावा दिनांक 05.02.2014 को प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 8 द्वारा दीगर व्यक्तियों को विवादित आराजी में अपने हिस्से 1/4 को बेचने व खुर्द बुर्द करने की बात कहने पर हुआ है।

- ❖ अतः दावा वादी निम्न प्रकार डिक्री फरमाया जावे कि–
  - उद्घोषणा इस जाशय को परमाई जावे कि मद संख्या 2 में वर्णित आराज वाके ग्राम चौथ का बरवाड़ा का वादी खातेदार काश्तकार है।
  - वादी को दावे मद संख्या 2 में विर्णित आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जावे तद्नुसार प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 8 के साथ बतौर खातेदार वादी का नाम भी जोड़ने के आदेश फरमाते हुए समस्त राजस्व रिकॉर्ड ऑफ राईट्स के खातेदार दर्ज किया जावे एवं समस्त इन्द्राजात को दुरूस्त फरमाया जावे।
  - नामान्तरकरण संख्या 827 दिनांक 06.12.12 को निरस्त फरमाया जावे।
  - प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 8 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वे मद संख्या 02 में वर्णित आराजी के वादी के कब्जे काश्त में न तो स्वयं बाधा पैदा करे न ही किसी अन्य से करावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2026.03.06 11:34:15 IST
Reason: SelfAttested

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर नोटिस बनाम प्रतिवादीगण जारी किये जाकर उन्हे न्यायालय में तलब किया।

Vjey
उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

3. प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 8 व 10 बावजूद तामील अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्ध दिनांक 28.03.2014 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

4. प्रतिवादी संख्या 3 व 11 लगायत 14 ने अपना जवाब पेश किया है कि वादी पत्र के मद संख्या 16 में चाहे गये रिलीफ वादी को देने में हमें कोई आपत्ति नहीं है। अतः जवाब दावा पेश कर निवेदन है कि दावा वादी सम्पूर्ण रूप से स्वीकार फरमा दिया जावे।

5. वादी के वादपत्र एवं प्रतिवादी संख्या 3 व 11 लगायत 14 के जवाब के आधार पर निम्नानुसार तनकीयात कायम की जाकर विवेचित की गई–

I. आया वादी दावे के मद संख्या 2 में वर्णित आराजीयात में प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बतौर खातेदार राजस्व रिकॉर्ड में अपने नाम अंकन करवाने का अधिकारी है ?

–वादी

II. आया वादी नामान्तरकरण संख्या 827 दिनांक 06.12.12 वाके ग्राम चौथ का बरवाड़ा निरस्त करवाकर अपने नाम का राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करवाने का अधिकारी है ?

–वादी

III. आया वादी दावे के मद संख्या 2 में वर्णित आराजीयात से प्रतिवादीगण को कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न नहीं करने हेतु अरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का अधिकारी है।

–वादी

IV. अन्य अनुतोष ?

6. वकील वादी ने साक्ष्य के समर्थन में निम्नानुसार मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये हैं–

- <u>पी0डब्ल्यू–01</u>:– मोजीराम पुत्र बजरंगलाल दत्तक पुत्र प्रेम देवी बेवा सुवालाल रेगर, निवासी चौथ का बरवाड़ा, तहसील चौथ का बरवाड़ा।
- <u>पी0डब्ल्यू–02</u>:–देवीनारायण पुत्र कल्याणमल रेगर, निवासी चौथ का बरवाड़ा, तहसील चौथ का बरवाड़ा।
- <u>पी0डब्ल्यू–03</u>:–गजानन्द पुत्र भागीरथ रेगर, निवासी चौथ का बरवाड़ा, तहसील चौथ का बरवाड़ा।
- <u>पी0डब्ल्यू–04</u>:–प्रहलाद पुत्र तुलसीराम रेगर, निवासी चौथ का बरवाड़ा, तहसील चौथ का बरवाड़ा।
- <u>प्रदर्श–1</u>:–नामान्तरकरण संख्या 827 दि[illegible]2.12 की प्रति।
- <u>प्रदर्श–2</u>:–जमाबंदी संवत् [illegible] वाके ग्राम [illegible] बरवाड़ा, तहसील चौथ का बरवाड़ा।
- <u>प्रदर्श–03</u>:–मूल गोद पत्र
- <u>प्रदर्श–4</u>:–गोदनामा शपथ पत्र
- <u>प्रदर्श–05</u>:– जमाबंदी संवत् 2066–69 वाके ग्राम चौथ का बरवाड़ा, तहसील चौथ का बरवाड़ा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2026.03.06 11:34:15 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

7. दिनांक 03.12.2025 को वकील प्रतिवादी संख्या 9 व 11 लगायत 14 ने साक्ष्य पेश नहीं करने हेतु निवेदन किया। अतः उनके निवेदन पर साक्ष्य प्रतिवादी बंद किये गये।

8. वकील प्रतिवादी संख्या 9 व 11 लगायत 14 ने इदायत पैरवी न होना जाहिर कर बहस करने से मना किया। अतः वकील वादी की बहस सुनी गई। मैंने वादी वकील की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया।

9. जमाबंदी संवत् 2042–2045 **(प्रदर्श–02)** से स्पष्ट है कि लाल्या पुत्र भूदरया रेगर की मृत्यु के पश्चात् उसके वारिसान बजरंगा, किशना, ऊंकार व सुवालाल पि0 लाल्या के नाम विरासत स्वीकार की गई थी। वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ने दत्तक पुत्र के रूप में ग्रहण किया है, जिसकी पुष्टि गोदनामा दिनांक 23.03.2005 **(प्रदर्श–3)** व गोदनामा शपथ पत्र **(प्रदर्श–04)** से होती है। ग्राम पंचायत द्वारा गोदनामें के पश्चात् 827 दिनांक 06.12.12 तस्दीक कर दिया, जो कि न्यायोचित नहीं है।

10. उपरोक्त विवेचन से वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

–:आदेश:–

वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाता है एवं वादी को ग्राम चौथ का बरवाड़ा, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर के विवादित खसरा नंबर खसरा नंबर हाल 96 रकबा 1.18 है0, 119 रकबा 0.20 है0, 120 रकबा 0.20 है0, 121 रकबा 0.20 है0, 122 रकबा 0.25 है0, 123 रकबा 0.01 है0, 124 रकबा 0.09 है0, 125 रकबा 0.11 है0, 812 रकबा 0.34 है0, 813 रकबा 0.22 है0, 815 रकबा 0.28 है0, 818 रकबा 0.11 है0, 819 रकबा 0.01 है0, 830 रकबा 0.11 है0, 831 रकबा 0.10 है0 कुल किता 15 कुल रकबा 3.41 है0 में हिस्से के अनुसार खातेदार घोषित किया जाता है एवं तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा को आदेश दिये जाते हैं कि वे वादी को उक्त विवादित आराजीयात में बतौर हिस्सेदार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करें। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 8 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे वादी के हिस्से में आई भूमि के कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार से बाधा उत्पन्न नहीं करें। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय आज दिनांक 04.02.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2026.03.06 11:34:15 IST
Reason: SelfAttested

(जोगेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स0 मा0)

वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

नाम न्यायालय <u>उपखण्ड अधिकारी</u> स्थान <u>चौथ का बरवाड़ा</u>

1. मोजीराम पुत्र बजरंग लाल दत्तक पुत्र प्रेम देवी बेवा सुवालाल रेगर, निवासी चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।

बनाम

1. प्रेम देवी बेवा सुवा लाल रेगर, निवासी चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।
2. बीना पुत्री सुवा लाल पत्नि संतोष कुमार रेगर, निवासी रामपुरा, तहसील अलीगढ़, जिला टोंक।
3. मन्जू पुत्री सुवा लाल पत्नि शंकर लाल रेगर, निवासी बम्बोर, जिला टोंक।
4. किरण पुत्री सुवा लाल पत्नि बब्लू रेगर, निवासी प्लॉट नंबर 19, महामाया नगर, पुराना बस स्टेण्ड के पास, निवारू, जिला जयपुर।
5. सीमा पुत्र सुवा लाल पत्नि राजेश रेगर, निवासी प्लॉट नंबर 19, महामाया नगर, पुराना बस स्टेण्ड के पास, निवारू, जिला जयपुर।
6. सुनीता पुत्री सुवा लाल रेगर, निवासी, चौथ का बरवाड़ा, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।
7. रिंकी पुत्री सुवा लाल रेगर, नाबालिग जरिये संरक्षक, माता प्रेम देवी बेवा सुवा लाल रेगर, निवासी चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।
8. हेमलता पुत्री सुवा लाल रेगर, नाबालिग जरिये संरक्षक, माता प्रेम देवी बेवा सुवा लाल रेगर, निवासी चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।
9. नरसी लाल पुत्र बजरंगा रेगर, निवासी चौथ का बरवाड़ा, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।
10. नन्दकिशोर पुत्र बजरंगा रेगर, निवासी चौथ का बरवाड़ा, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।
11. प्रेमराज पुत्र बजरंगा रेगर, निवासी चौथ का बरवाड़ा, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।
12. सुगना पुत्री बजरंगा पत्नि कमलेश रेगर, निवासी चौथ का बरवाड़ा, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।
13. किशनलाल पुत्र लाल्या रेगर, निवासी चौथ का बरवाड़ा, तहसील चौथ का बरवाड़ा।
14. ऊंकार पुत्र लाल्या रेगर, निवासी चौथ का बरवाड़ा, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।
15. तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2026.03.06 11:34:15 IST
Reason: SelfAttested

<u>नम्बर मुकदमा 13 सन [illegible]4</u>

<u>दावा बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा [illegible]8 व 188 आर0टी0 एक्ट</u>

वादी की ओर से श्री अब्दुल वहाब, एडवोकेट एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 8 व 10 की ओर से एकपक्षीय कार्यवाही, प्रतिवादी संख्या 9 व 11 लगायत 14 की ओर से श्री दिनेश पारीक, एडवोकेट की उपस्थिति में इस वाद के आज ता0 04.02.2026 को श्री जोगेन्द्र सिंह (आर.ए.एस) के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है और डिक्री जारी की जाती है कि वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाता है एवं

वादी को ग्राम चौथ का बरवाड़ा, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर के विवादित खसरा नंबर खसरा नंबर हाल 96 रकबा 1.18 है0, 119 रकबा 0.20 है0, 120 रकबा 0.20 है0, 121 रकबा 0.20 है0, 122 रकबा 0.25 है0, 123 रकबा 0.01 है0, 124 रकबा 0.09 है0, 125 रकबा 0.11 है0, 812 रकबा 0.34 है0, 813 रकबा 0.22 है0, 815 रकबा 0.28 है0, 818 रकबा 0.11 है0, 81[illegible] रकबा 0.01 है0, 830 रकबा 0.11 है0, 831 रकबा 0.10 है0 कुल किता 15 कुल रकबा 3.41 है0 में हिस्से के [illegible]सार खातेदार घोषित किया जाता है एवं तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा को आदेश दिये जाते हैं कि वे वादी [illegible]ीयात में बतौर हिस्सेदार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करें। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत [illegible] से पाबंद किया जाता है कि वे वादी के हिस्से में आई भूमि के कब्जे काश्त में कि[illegible] भी [illegible] से बाधा उत्पन्न नहीं करें। पक्षकारान अपना अपना खर्चा स्वयं वहन करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2026.03.06 11:34:15 IST
Reason: SelfAttested

इस वाद के खर्चे लेखें X रूपया की राशि आज की तारीख से वसूली की तारीख तक उस पर X प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित X द्वारा X को दी जाए। यह आज तारीख 04.02.2026 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

वाद के खर्च

	वादी	रूपया	पैसे	प्रतिवादी	रूपया	पैसे
1	वाद पत्र के लिए स्टाम्प	00	00	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	00	
2	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	00	00	अर्जी के लिए स्टाम्प	00	
3	प्रदेशा के लिए स्टाम्प रू0 पर	00	00	प्लीडर की फीस	00	
4	प्लीडर की फीस	00	00	साक्षियों के निर्वाह व्यय	00	
5	साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	00	00	आदेशिका की तामील	00	
6	कमिश्नर की फीस	00	00	कमिश्नर की फीस	00	
7	आदेशिका की तामील	00	00			
	जोड	00	00	जोड	00	00

(जोगेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा